

श्री विष्णु प्राथमिक  
 अधिकारी  
 नं. ६६६८  
 मुख्यमंत्री  
 ०६/०६/१७

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

१. निदेशक,  
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्,  
उ०प्र०, लखनऊ।

२/ सचिव,  
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग-११

लखनऊ: दिनांक: ०५ जून २०१७

विषय— डी०एल०एड० प्रशिक्षण २०१६ तथा आगामी प्रशिक्षण में चयन हेतु आनलाइन आवेदन/चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-राशौ०/५१५५/बी०टी०सी० प्रशिक्षण-२०१६/२०१७-२०१८ दिनांक १७.०५.२०१७ तथा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद के पत्र संख्या-गोप०/बी०टी०सी०-१६/२३०९-१०/२०१७-१८, दिनांक २५.०५.२०१७ का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा डी०एल०एड० प्रशिक्षण सत्र २०१६ तथा आगामी प्रशिक्षण में चयन हेतु आनलाइन आवेदन/चयन प्रक्रिया के संबंध में शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

२— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बी०टी०सी० प्रशिक्षण में चयन हेतु आनलाइन आवेदन/चयन प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए डी०एल०एड० प्रशिक्षण २०१६ तथा आगामी प्रशिक्षण में चयन हेतु आनलाइन आवेदन एवं चयन प्रक्रिया निम्नवत दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी:-

### १— डी०एल०एड० (D.El.Ed.) प्रशिक्षण –

प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का सेवापूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा, जिसे प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टीफिकेट (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता था, एन०सी०टी०ई० २०१४ परिशिष्ट २ के अनुसार अब इस कोर्स को डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एजूकेशन (D.El.Ed.) कहा जायेगा। ऑन-लाइन आवेदन पत्र के प्रारूप को e-आवेदन पत्र कहा जायेगा।

### २— प्रशिक्षण हेतु आवेदन—

डी०एल०एड० प्रशिक्षण २०१६ व आगामी प्रशिक्षण के लिए आवेदकों द्वारा किसी भी एक जनपद अथवा गृह जनपद से आवेदन किया जायेगा। उसके द्वारा किया गया आवेदन समस्त जनपदों हेतु मान्य होगा।

### ३— सीटों पर चयन—

i. डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु एन०सी०टी०ई० द्वारा डायट एवं निजी संस्थानों हेतु अनुमन्य सीटों पर कला/विज्ञान, पुरुष/महिला का विभाजन किये बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट द्वारा किया जायेगा।

ii. एन०सी०टी०ई० से मान्यता तथा प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त ऐसी निजी संस्थायें, जो केवल महिलाओं हेतु हैं, में महिला अभ्यर्थी ही चयनित की जायेंगी।

#### 4- आवेदन हेतु पात्रता-

(i) **शैक्षिक अर्हता** – डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2016 व आगामी प्रशिक्षण में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन करने के पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों तथा जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं CBSE (सी.बी.एस.ई.) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाईस्कूल व उसके समकक्ष तथा इन्टरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा एवं COBSE (कोबसे) द्वारा अमान्य तथा यू०जी०सी० द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गयी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से किसी भी स्तर (हाईस्कूल, इन्टर तथा स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अहं नहीं माने जायेंगे। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। एकरूपता की दृष्टि से एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

(ii) **आयु** – आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण सत्र के लिए आवेदन किया जायेगा, अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार “यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।”, देय होगी।

#### 5- आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना-

- (i) अभ्यर्थियों से e-आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा प्रदेश के दो बहुप्रसारित समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।
- (ii) ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। डाक द्वारा व अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार/मान्य नहीं होंगे।
- (iii) e-आवेदन पत्र का प्रारूप, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश एवं तकनीकी निर्देश विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपयोगार्थ सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अन्तिम निर्धारित तिथि को सायं समय 06:00 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा करने की

निर्धारित तिथि तक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में शुल्क निर्धारित माध्यम के अनुसार जमा करनी होगी।

- (iv) e—आवेदन पत्र भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद के घोषित परीक्षाफल, शैक्षिक अंकपत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि तक इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र को मान्य करते हुए अभ्यर्थी से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि भविष्य में सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की विसंगति होती है तो उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (v) प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जाँच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
- (vi) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो सूचनायें अंकित की जायेंगी / विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे / जिस श्रेणी के आरक्षण / विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। औन्न—लाइन आवेदन में प्रविष्टियाँ अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण सावधानी के साथ भरी जानी चाहिए, क्योंकि यही चयन का आधार है। औन्न—लाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरे गये विवरण का प्रिन्ट—आउट, ई—चालान / औन्न—लाइन पेमेंट का प्रिन्ट—आउट (विकलांग अभ्यर्थियों को छोड़कर) तथा पूर्ण आवेदन पत्र का प्रिन्ट—आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।

- (vii) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय आरक्षण / विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण / विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (viii) यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका में प्राप्तांक / पूणीक के स्थान पर ग्रेड ब्याइट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से ग्रेड ब्याइट को प्रतिशत में कनवर्जन का फार्मूला ज्ञात कर तदनुसार प्रतिशत निकाल लेंगे तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूणीक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। पूणीक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड ब्याइट को प्रतिशत में कनवर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव / सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड ब्याइट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड ब्याइट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (फॉर्मूला) अभिलेखीय जाँच के समय साथ लाना होगा।
- (ix) यदि अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो जाती है तो अभ्यर्थी द्वारा 'Lock/Submit' करने के उपरान्त अपने भरे गये आवेदन पत्र की त्रुटि में संशोधन/निरकरण करने हेतु निम्नलिखित दो उपाय है—

- (क) यदि अभ्यर्थी द्वारा औन्न—लाइन आवेदन 'Lock/Submit' करने के उपरान्त अपने भरे गये आवेदन पत्र में किसी त्रुटि को संशोधित करना चाहता है तो उसे औन्न—लाइन आवेदन करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व पुनः पंजीकरण करकर पुनः फीस जमा करने के उपरान्त नया आवेदन फार्म भरना होगा, क्योंकि अभ्यर्थी द्वारा जिस नाम से बैंक में शुल्क जमा किया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा भरे गये पूर्व के आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए केवल अंतिम आवेदन पत्र को ही मान्य किया जायेगा।
- (ख) औन्न—लाइन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित तिथि के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के कतिपय विशिष्टियों में निर्धारित तिथि के अन्दर संशोधन किया जा

सकता है परन्तु किसी भी स्थिति में अम्यर्थी के आवेदित जनपद, नाम तथा विशेष आरक्षण की श्रेणी से सामान्य तथा सामान्य श्रेणी से विकलांगता की श्रेणी में संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदक विकलांग श्रेणी में संशोधन सिर्फ विकलांग श्रेणी की एक उप-श्रेणी से दूसरी उप-श्रेणी में ही कर सकता है। आवेदन शुल्क की समानता के कारण आवेदक मात्र सामान्य वर्ग से अन्य पिछड़ा वर्ग के परस्पर तथा अनुसूचित जाति से अनुसूचित जन जाति के परस्पर ही संशोधन कर सकता है। अम्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किन-किन विशिष्टियों में संशोधन किया जा सकता है, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

- (x) प्रवेश के समय अम्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह अनुबंध पत्र दिया जायेगा कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण /असत्य है, तो न केवल उसका अस्थर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अम्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जायेगी कि आवेदन पत्र प्रेषण की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अनिम्न निर्धारित तिथि के बाद की तिथि का निर्गत (जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर) कोई भी अंकपत्र एव प्रमाण पत्र मात्र नहीं होगा। अम्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, यूआईडी० में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

## 6— चयन / अभिलेखीय जॉच की प्रक्रिया—

- (i) डी०एल०ए८० प्रशिक्षण—२०१६ एवं आगामी प्रशिक्षण हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अम्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयताक्रम में वर्ग/श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जायेगी। गुणांक के आगणन में प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दसमलव के दो अंकों में पूर्णांकित (round off) किया जायेगा। चयन के समय यदि एक ही वर्ग/श्रेणी के दो अस्थार्थियों के गुणांक बराबर आते हैं तो अधिक आयु वाले अम्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। गुणांक तथा आयु भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णनाला के क्रम में अम्यर्थी के नाम अनुसार वरीयता दी जायेगी।

- (ii) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त निजी डी०एल०ए८० संस्थानों के लिए आवंटित सीटों के प्रति प्रशिक्षण हेतु संस्थान का ऑन-लाइन आवंटन एन०आई०सी० लखनऊ द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा।  
प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं सम्बद्धता प्राप्त निजी डी०एल०ए८० संस्थानों में वर्गवार/श्रेणीवार आवंटित सीटों की संख्या (सीट मैट्रिक्स) निर्धारित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अस्थार्थियों द्वारा उक्त सीट

मेट्रिक्स के माध्यम से ही प्रशिक्षण हेतु संस्था का ऑन लाइन विकल्प मांगा जायेगा।

- (iv) संस्था आवंटन हेतु ऑन-लाइन विकल्प भरने सम्बन्धित सामान्य निर्देश एवं तकनीकी निर्देश निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपयोगार्थ सचिव, परीक्षा नियमक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अन्तिम निधारित तिथि को सायं 06:00 बजे तक ही ऑन-लाइन विकल्प भरा जा सकेगा।

- (v) सचिव, परीक्षा नियमक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से लेकर प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की निधारित तिथि की सूचना एकीकृत रूप से उत्तर प्रदेश के बहुप्रसरित समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित की जायेगी।

- (vi) अध्यार्थियों के प्रवेश के समय ही अभिलेखीय जाँच अध्यार्थियों को आवंटित संस्था द्वारा सम्पादित करायी जायेगी। अभिलेखों की जाँच का तात्पर्य डी०एल०ए०ड० प्रशिक्षण हेतु प्रवेश को सुनिश्चितता नहीं है। डी०एल०ए०ड० प्रशिक्षण में प्रवेश मेरिट के आधार पर रिक्विटों के सापेक्ष ही किया जायेगा।

- (vii) यदि प्रवेश हेतु संस्कृत अध्यर्थी अपने आवंटित कालेज में निर्धारित अवधि तक उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित कालेज में प्रवेश हेतु मेरिट एवं विकल्प के आधार पर अन्य अध्यर्थी संस्कृत किये जायें। प्रवेश हेतु अभिलेखीय जाँच से सभी सीटे भर जायें, इसके लिए आवश्यक है कि निजी संस्थान अपने वेबसाइट को प्रतिदिन अपडेट (अद्यातन) करते हैं तथा सीटों की संख्या, प्रवेशित छात्रों की संख्या, रिक्त सीटों की संख्या तथा बैंक एकाउन्ट के विवरण अपने वेबसाइट पर इस प्रकार प्रदर्शित करते रहें, जिससे इसकी सूचना डायट एवं सचिव, परीक्षा नियमक प्राधिकारी को प्रतिदिन होती रहे। जिस अध्यर्थी को अभिलेखीय जाँच से प्रवेश हेतु मेरिट एवं विकल्प के आधार पर कालेज आवंटित कर दिया जाये वह अपने आवंटित कालेज के बैंक एकाउन्ट में सी०बी०एस० द्वारा अभिलेखों की जाँच के दिनांक से 03 दिन के अन्दर शुल्क जमा करेंगे तत्पश्चात अध्यर्थी द्वारा अभिलेखीय जाँच अर्थात्री/आवंटित सम्बन्धित संस्थान के समक्ष शुल्क जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करें। सम्बन्धित कालेज उसे अपने कालेज के वेबसाइट पर अध्यर्थी के विवरण सहित प्रदर्शित करेंगे तथा तदनुसार अभिलेखीय जाँच अर्थात्री/आवंटित सम्बन्धित संस्थान संस्थावार आवंटन, प्रवेशित एवं रिक्त सीटों की सूचना प्रतिदिन अपडेट करते रहेंगे।

- यदि कोई अध्यर्थी अपने लिए आवंटित कालेज के सी०बी०एस० एकाउन्ट में शुल्क जमा करने में कोई कठिनाई पाता है तो वह शीघ्र अभिलेखीय जाँच अर्थात्री अर्थात अध्यर्थी को आवंटित संस्था या सम्बन्धित कालेज या सम्बन्धित डायट से सम्पर्क करेंगे।

#### (viii) प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी –

- (a) आवेदन पत्रों में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।  
 (b) मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अध्यार्थियों की एक निधारित की जायेगी, जो चयन का आधार होगा।

(c) निधारित ईक के अभ्यर्थी निधारित अवधि में अपनी पसन्द की सीट का विकल्प ऑन-लाइन पूरित करेंगे। इस अवधि के बाद एन0आई0सी0 द्वारा सीट आवंटन हेतु प्रॉसेसिंग की जायेगी।

(d) इस प्रक्रिया के बाद बची सीटों पर हितीय राउण्ड में वर्ग / श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष ही चयन का अवसर दिया जायेगा। यदि प्रथम राउण्ड में चयनित / मेरिट का अभ्यर्थी अपनी गलती / शिखिलता के कारण सीट का विकल्प नहीं दे पाया, तो वह भी हितीय राउण्ड में वर्ग / श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष चयन हेतु विचारित होगा।

(e) अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर निधारित प्रक्रिया से जो संस्थान / सीट आवंटित होता है, तो उस संस्थान के प्राचार्य का दायित्व होगा कि वह अभ्यर्थियों की आई0डी0, आधार कार्ड, अभिलेख, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण नियमों की पूर्ति आदि से संतुष्ट हो ले और निधारित शुल्क ई-पेमेंट / बैंक ड्राफ्ट से जमा कराते हुए भरी गयी सीटों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

(f) चयन हेतु निधारित अन्तिम तिथि के पश्चात् कोई चयन नहीं किया जायेगा। चैंकि अभ्यर्थियों द्वारा ही संस्थान / सीट का विकल्प दिया गया है, अतः अन्तिम तिथि तक किसी संस्थान की सीट खाली रह जाने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

(g) निजी संस्थानों द्वारा रिक्त सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची उनके समस्त विवरण के साथ अपने जनपद के प्राचार्य डायट को निधारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्राचार्य डायट का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे निजी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रवेशित अभ्यर्थियों के मेरिट, वर्ग / श्रेणी व आवेदन इत्यादि की जाँच भली-भौति कर लें।

## 7- निधारित शुल्क-

- (i) ऑन-लाइन आवेदन पंजीकरण करने के बाद आवेदक ऑन-लाइन e-पंजीकरण का प्रिंट प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे और भारतीय स्टेट बैंक की बेबसाइट के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे।
- (ii) आवेदन शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा नगद / इंटरनेट बैंकिंग / ए0टी0एम0 कार्ड / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पंजीकरण के दिनांक से अगले बैंक कार्यदिवस में किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा करने हेतु बैंक द्वारा निधारित सेवा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
- (iii) ई-चालान / ऑन-लाइन माध्यम द्वारा आवेदन शुल्क, ऑन-लाइन आवेदन के दिनांक / दिवस को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा नहीं हो सकेगा। आवेदन शुल्क जमा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन की अवशेष प्रक्रिया पूर्ण होगी। ई-चालान / ऑन-लाइन के माध्यम से आवेदन शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के अलावा किसी भी बैंक में जमा किया जाना सम्भव नहीं होगा।

- (iv) ऑन-लाइन आवेदन केन्द्रीयकृत पैटर्न पर प्राप्त किये जायेंगे। डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में e-आवेदन पत्र हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क रु 200/- होगा तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये शुल्क रु 400/- होगा। विकलांग अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा। निधारित शुल्क को ई-चालान (ई-चालान की धनराशि अभ्यर्थी द्वारा नगद / इंटरनेट बैंकिंग / ए0टी0एम0 कार्ड / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) द्वारा मात्र स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा

किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने के दो बैंक कार्य दिवस के बाद अभ्यर्थी अपने ऑन-लाइन आवेदन पत्र के अवशेष भाग में प्रविष्टि कर सकेगा।

- (vi) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा ई-चालान से आवेदन शुल्क की धनराशि प्राप्त किये जाने के लिये अनिवार्य रूप से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की निकटवर्ती शाखा में खाता खोलना है। ऑन-लाइन आवेदन शुल्क की धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार अन्य आकस्मिक व्यय हेतु किया जायेगा।

#### 8— आरक्षण—

- (i) अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण व्यवस्था की जायेगी।
- (ii) आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 (3) के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त सीट को आपस में क्रमशः अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से भरा जा सकता है।
- (iii) विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) का कोटा चयन की तिथि को उपलब्ध अद्यतन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, 1997 तथा 1999 (यथा संशोधित) के अनुसार होगा।
- (iv) विशेष आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत अर्ह आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त सीटों को श्रेणीवार अर्ह अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

#### 9— प्रवेश प्रक्रिया —

- (i) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु संस्थान आवंटित किये जाने के पश्चात् प्रवेश/चयन का समस्त कार्य सम्बन्धित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/निजी संस्थान के प्राचार्य द्वारा शासनादेश एवं आरक्षण नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
- (ii) उत्तर प्रदेश के निम्नवत् जनपदों, जहां स्थापित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को एन०सी०टी०ई० द्वारा डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु सीटों की मान्यता प्राप्त नहीं है अथवा नवसृजित जनपदों, जहां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की स्थापना नहीं हो सकी है (कॉलम-1), उक्त जनपद जिस अविभाजित पूर्व/मूल जनपद का हिस्सा है (कॉलम-2)।

<u>कॉलम-1</u>	<u>कॉलम-2</u>
कासगंज	डायट, हरचन्दपुरकला-एटा
संतकबीरनगर	डायट, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स-बस्ती
अम्बेडकरनगर	डायट, फैजाबाद
बलरामपुर	डायट, दर्जीकूआँ-गोण्डा
हमीरपुर	डायट, चरखारी-महोबा
अमेठी	डायट-सुल्तानपुर
गाजियाबाद	डायट-हापुड़
शामली	डायट-मुजफ्फरनगर
सम्भल	डायट, कांठ-मुरादाबाद

उपरोक्त कॉलम-1 के जनपदों के अभ्यर्थियों की डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2016 व अगामी सत्रों की अभिलेखीय जाँच/चयन प्रक्रिया कॉलम-2 के जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संपादित की जाएगी।

(iii) प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो से अभ्यर्थी का मिलान कर लिया जाय तथा उसकी पुष्टि फोटो आई०डी० से भी की जाय। बाद में उनके मूल अभिलेखों की जाँच/सत्यापन भी सम्बन्धित निर्गमन संस्थाओं से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रत्येक स्थिति में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के पहले कराया जायेगा। चयन/जाँच/ प्रवेश/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर विसंगति पाये जाने पर चयनित/ छद्म तरीके से चयन प्रक्रिया में आने की पुष्टि होने पर प्रशिक्षित/ प्रशिक्षणोपरान्त नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी।

#### 10— प्रशिक्षण शुल्क—

- (i) डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण दो वर्षीय नियमित अनावासीय (Regular) प्रशिक्षण है, जिसमें चार सेमेस्टर हैं। डायट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष रु० 10,200/- होगा। उक्त शुल्क का मदवार विवरण संलग्न है।
- (ii) निजी संस्थानों हेतु शासनादेश संख्या-1441/15-11-2014 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 41,000/- होगा।
- (iii) निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की उसकी पुष्टि होने पर उनकी सम्बद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए निजी संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (iv) प्रशिक्षण अनावासीय होगा। अतः आवास/ छात्रावास हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (v) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का मानदेय (स्टाईपेण्ड) देय नहीं होगा।

#### 11— अल्पसंख्यक संस्थान—

एन०सी०टी०ई० से डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया है, उन अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा आवंटित सीटों (एन०सी०टी०ई० द्वारा आवंटित सीट संख्या) पर शासनादेश सं० 653/15-11-2015 दिनांक 10.06.2015 यथासंशोधित एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

#### 12— ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व —

- (i) ऑन लाइन आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया हेतु सॉफ्टवेयर के निर्माण एवं विकास का कार्य राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
- (ii) आवेदन की प्रक्रिया की विशिष्टताओं आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपेक्षित सूचनाओं की सुलभता सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा एन०आई०सी०, लखनऊ को करायी जायेगी, जिससे ऑन-लाइन आवेदन हेतु उत्तम एवं प्रभावी सॉफ्टवेयर को विकसित कराया जा सके।

- (iii) ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया के सापेक्ष आवेदन शुल्क (धनराशि अभ्यर्थी द्वारा नगद / इंटरनेट बैंकिंग / ए०टी०एम० कार्ड / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) जमा करने हेतु स्टेट बैंक औफ इण्डिया के साथ सभी आवश्यक दस्तावें एवं शर्तें बैठक कर निर्धारित कर लें। तदनुसार बैंक के साथ सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद लिखित अनुबंध / ए००ओ००५० विधिक प्रालेख के रूप में संयुक्त हस्ताक्षरित कर अभिलेखित कर लें।

- (iv) तकनीकी कारणों से ऑन लाइन आवेदन दिवस / दिनांक के अगले कार्यदिवस को अभ्यर्थी आवेदन शुल्क (धनराशि अभ्यर्थी द्वारा नगद / इंटरनेट बैंकिंग / ए०टी०एम० कार्ड / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) रस्टेट बैंक औफ इण्डिया की किसी भी शाखा पर जमा करने की कार्यवाही कर सकते हैं।

- (v) तकनीकी कारणों से प्रत्येक कार्यदिवस में होने वाले ऑन-लाइन आवेदन पत्र की डाटा फाइल ए००आई०सी० लखनऊ द्वारा निर्भित सॉफ्टवेयर के माध्यम से व स्टेट डाटा सेन्टर (यू०पी०डेस्को) के नियन्त्रणाधीन लखनऊ के सर्वर से सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निर्दिष्ट तकनीकी कार्मिक / सहायक द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को रस्टेट बैंक औफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सर्वर / ई-मेल पर ट्रान्सफर / प्रेषित करना होगा। बैंक को प्रवित डाटा फाइल्स के आधार पर ही स्टेट बैंक औफ इण्डिया द्वारा आवेदन शुल्क डाटा फाइल्स से अभ्यर्थी की पुष्टि कर जमा किया जा सकता है।
- (vi) ए००आई०सी०, लखनऊ द्वारा डी००एल०एड० प्रशिक्षण के लिए आवेदन हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के क्रम में आवश्यक कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को लैंग-इन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

- (vii) ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को डाटा का तकनीकी रखरखाव एवं बैक-अप यू०पी० डेस्को सुनिश्चित करेगा।

### 13— चयन प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु समय सारणी –

(1)	सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा ऑन-लाइन आवेदन / पंजीकरण हेतु एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित कराना।	डी००एल०एड० प्रशिक्षण हेतु शासनादेश निर्मात होने के ५ दिन के अन्दर
(2)	ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	विज्ञाप्ति प्रकाशित होने के तीन सप्ताह तक
(3)	ई-चालान जमा करने की अंतिम तिथि	बिन्दु २ के बाद दो कार्य दिवस तक
(4)	ऑन-लाइन आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि	बिन्दु ३ से तीन दिन बाद तक
(5)	अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑन लाइन आवेदन में की गयी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को ऑन लाइन संशोधन की तिथि	बिन्दु ४ से दो कार्यादिवस के बाद तीन दिन तक
(6)	अभ्यर्थियों के वर्गवार / श्रेणीवार भौतिक के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने की तिथि	बिन्दु ५ के बाद १५ दिन के अन्दर
(7)	अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये संस्थान के विकल्प के क्रम में ए००आई०सी० लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने की तिथि	बिन्दु ६ के बाद ०५ दिन के अन्दर

(8)	आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जाँच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना सम्बन्धित संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना	बिन्दु 7 के बाद 05 दिन के अन्दर
(9)	अभ्यर्थियों के वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं, तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन हेतु द्वितीय चक्र में अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने की तिथि	बिन्दु 8 से तीन कार्य दिवस के बाद 15 दिन के अन्दर
(10)	अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय चक्र में दिये गये संस्थान के विकल्प के क्रम में एन०आई०सी०, लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने की तिथि	बिन्दु 9 के बाद 05 दिन के अन्दर
(11)	द्वितीय चक्रमें आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जाँच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड किया जाना	बिन्दु 10 के बाद 05 दिन के अन्दर
(12)	प्रशिक्षण प्रारम्भ	बिन्दु 11 के बाद 3 दिन के अन्दर

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।  
संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।

#### संख्या एवं दिनांक तदैव—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2— निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3— समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4— समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०।
- 5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(देव प्रताप सिंह)  
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-४०५/15-11-2017-2067/2017, दिनांक- ०५ मई, 2017 का  
संलग्नक।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में डी०एल०एड० प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले  
शुल्क का मदवार विवरण :-

क्र०सं०	मद	प्रथम वर्ष का शुल्क	द्वितीय वर्ष का शुल्क
1.	शिक्षण शुल्क (राजकोष में जमा किया जायेगा)	2400	2400
2.	कॉशन मनी (रिफण्डेबल)	2500	-
3.	परिचय पत्र शुल्क	100	100
4.	पत्रिका शुल्क	300	300
5.	क्रीड़ा शुल्क	400	400
6.	क्रापट शुल्क	400	400
7.	विद्युत शुल्क	1200	1200
8.	अनुरक्षण / विकास शुल्क	1400	1400
9.	एक्सपोज़र विज़िट	-	2500
10.	वाचनालय	300	300
11.	विज्ञान एवं कम्प्यूटर शुल्क	1000	1000
12.	आन्तरिक मूल्यांकन / प्रायोगिक परीक्षा	200	200
	योग	10,200	10,200
	छात्रावास शुल्क (छात्रावास की सुविधा के इच्छुक छात्रों हेतु इसमें मेस का चार्ज सम्मिलित नहीं)	2400	2400

नोट- उक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क तथा अंकपत्र शुल्क सम्मिलित नहीं है।

  
(देव प्रताप सिंह)  
विशेष सचिव।